Date – 18 August 2022

लेक गार्डा: इटली

- इटली के सबसे भीषण सूखे के कारण देश की सबसे बड़ी लेक गार्डा दशकों में अपने सबसे निचले जल स्तर पर पहुंच गई है।
- परिणामस्वरूप, पानी के नीचे की चट्टानें दिखाई देने लगीं और पानी का तापमान कैरेबियन सागर के औसत तापमान तक गर्म हो गया।

गार्डा झील

- उत्तरी इटली में महीनों से बहुत कम वर्षा हुई है, और 2022 में बर्फबारी में 70% की कमी आई है, जिससे पो जैसी महत्वपूर्ण नदियाँ सूख रही हैं, जो इटली के कृषि और औद्योगिक क्षेत्रों से होकर बहती हैं।

- इटली की सबसे लंबी नदी पो की शुष्क स्थिति से उन किसानों को अरबों यूरो का नुकसान हुआ जो आमतौर पर अपने खेतों और धान की सिंचाई के लिए इस पर निर्भर रहते हैं।
- अधिकारियों ने नुकसान की भरपाई के लिए गरदा झील के अधिक पानी को स्थानीय नदियों में प्रवाहित करने की अनुमति दी।
- लेकिन जुलाई 2022 के अंत में, उन्होंने झील और उससे जुड़े आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पर्यटन के लिए राशि कम कर दी।
- झील अपने सबसे निचले स्तर पर आ गई और बड़ी मात्रा में पानी नदियों की ओर मोड़ दिया गया।

सूखा

- सूखे को आम तौर पर एक विस्तारित अवधि में वर्षा/वर्षा में कमी के रूप में माना जाता है, आमतौर पर एक मौसम या उससे अधिक, जिसके परिणामस्वरूप पानी की कमी होती है जो वनस्पति, जानवरों और/या लोगों पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है।

प्रकार:

मौसम संबंधी सूखा:

- यह सूखापन की डिग्री या वर्षा की कमी और लंबे समय तक शुष्क अवधि पर आधारित है।

हाइड्रोलॉजिकल सूखा:

- यह जल आपूर्ति पर वर्षा की कमी जैसे धारा प्रवाह, जलाशय और झील के स्तर और भूजल स्तर में गिरावट के प्रभाव पर आधारित है।

कृषि सूखा:

- यह वर्षा की कमी, मिट्टी में पानी की कमी, कम भूजल स्तर या सिंचाई के लिए आवश्यक जलाशय के स्तर जैसे कारकों द्वारा कृषि पर प्रभाव को दर्शाता है।

सामाजिक-आर्थिक सूखा

- यह सूखे की स्थिति (मौसम विज्ञान, कृषि, या जल विज्ञान संबंधी सूखे) के प्रभाव पर कुछ आर्थिक वस्तुओं, जैसे फल, सब्जियां, अनाज और मीट की आपूर्ति और मांग पर विचार करता है।

कारण:

- वर्षा में परिवर्तनशीलता सूखे का एक प्रमुख कारण है। परिवर्तनशीलता का प्रतिशत कुल वर्षा के व्युत्क्रमानुपाती होता है।

- मानसूनी हवाओं के दौरान विचलन, या मानसून की जल्दी वापसी भी किसी क्षेत्र में सूखे की स्थिति पैदा कर सकता है।
- जंगल की आग के कारण भी सूखा पड़ सकता है, जिससे उस क्षेत्र की मिट्टी कृषि के लिए अनुपयुक्त हो जाती है और साथ ही मिट्टी में पानी की कमी हो जाती है।
- जलवायु परिवर्तन के अलावा, भूमि क्षरण के परिणामस्वरूप सूखे में वृद्धि हुई है।

समाधान:

जल प्रबंधन:

- उपचारित जल की बचत, पुन: उपयोग, वर्षा जल संचयन, विलवणीकरण या नमक-प्रेमी पौधों के लिए समुद्री जल का प्रत्यक्ष उपयोग।

किसान प्रबंधित प्राकृतिक उत्थान (FMNR):

- झाड़ियों की चयनात्मक छंटाई के माध्यम से देशी अंकुरित पेड़ों की वृद्धि को सक्षम बनाना।
- पेड़ों के छंटे हुए अवशेषों का उपयोग खेतों के लिए मल्चिंग प्रदान करने के लिए किया जा सकता है, जो मिट्टी की जल धारण क्षमता को बढ़ाता है और वाष्पीकरण को कम करता है।

अन्य उपाय:

- रेत, हवा के झोंकों आदि से मिट्टी की सुरक्षा के लिए बाड़ लगाकर मिट्टी की रक्षा करना।
- मिट्टी के संवर्धन और अति-उर्वरक की आवश्यकता।
- जल दक्ष सिंचाई उपकरण जैसे सूक्ष्म और ड्रिप सिंचाई, सॉकर होज़ सिस्टम आदि का उपयोग करना।

भारत सरकार की पहल:

- एकीकृत फ़ीड प्रबंधन कार्यक्रम
- हरित भारत पर राष्ट्रीय मिशन

मरुस्थल विकास कार्यक्रम:

- यह सूखे के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने और चिह्नित रेगिस्तानी क्षेत्रों के प्राकृतिक संसाधन आधार को फिर से जीवंत करने के लिए वर्ष 1995 में शुरू किया गया था।

स्वदीप कुमार

सामूहिक बलात्कार : सुप्रीम कोर्ट

- हाल ही में, महाराष्ट्र में नौ साल की बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे 29 वर्षीय एक व्यक्ति द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है।
- सर्वोच्च न्यायालय उस कानून की वैधता की जांच करेगा जो 12 साल से कम उम्र के बच्चे के सामूहिक बलात्कार के दोषी व्यक्ति को अपराध का प्रायश्चित करने या संशोधन करने का अवसर दिए बिना या तो आजीवन कारावास या मौत की सजा देता है।

याचिका में उठाए गए मुद्दे:

न्यायाधीशों की पसंद को प्रतिबंधित करना:

- इसने तर्क दिया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 376DB (12 वर्ष से कम उम्र के बच्चे का सामूहिक बलात्कार) ने ट्रायल जजों के लिए उपलब्ध विकल्पों को या तो व्यक्ति के शेष जीवन के लिए सजा या मृत्युदंड तक सीमित कर दिया।
- हालांकि, आजीवन कारावास के प्रावधान के तहत न्यूनतम, अनिवार्य सजा का प्रावधान किया गया है।

वर्ष 2018 के संशोधन में व्याप्त विसंगति:

- याचिकाकर्ता ने आगे तर्क दिया कि अगस्त 2018 में किए गए आपराधिक संशोधनों के माध्यम से बनाई गई दंड व्यवस्था में एक विसंगति है।
- धारा 376DB को वर्ष 2018 में पेश किया गया था जब बलात्कार के अपराध के लिए कठोर सजा का प्रावधान करने के लिए दंड संहिता में संशोधन किया गया था।

मनमाना:

- जबकि धारा 376-एबी में, 12 साल से कम उम्र की लड़की से बलात्कार के दोषी व्यक्ति को कम से कम 20 साल की कैद का प्रावधान था।

- जबकि धारा 376-डीबी में 12 साल से कम उम्र की लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार में शामिल प्रत्येक व्यक्ति के लिए आजीवन कारावास की अनिवार्य न्यूनतम सजा का प्रावधान है।
- दोनों धाराओं में अधिकतम सजा के रूप में मृत्युदंड का प्रावधान है।
- बिना छूट के इस आजीवन कारावास का मतलब 20 साल से कम उम्र के व्यक्ति के लिए 60-70 साल की जेल हो सकता है।

जीवन के अधिकार का उल्लंघन:

- धारा 376DB ने निचली अदालत को आजीवन कारावास या मौत की सजा की उच्च सजा के अलावा कोई विकल्प नहीं दिया।
- याचिका में तर्क दिया गया कि धारा 376DB संविधान के अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार) और अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) का उल्लंघन करती है।

वैश्विक परिदृश्य:

- इस मुद्दे के वैश्विक संदर्भ को देखते हुए, विंटर बनाम यूनाइटेड किंगडम में यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय ने फैसला सुनाया कि पैरोल की वास्तविक संभावना के बिना आजीवन कारावास मानव अधिकारों पर यूरोपीय सम्मेलन के अनुच्छेद 3 का उल्लंघन था।
- यह माना गया कि आजीवन कारावास को केवल इसलिए सजा के रूप में नहीं माना जा सकता क्योंकि वे कैदी को प्रायश्चित का कोई अवसर प्रदान नहीं करते थे और ऐसे वाक्य मानवीय गरिमा के सम्मान के साथ असंगत थे।
- युनाइटेड स्टेट्स सुप्रीम कोर्ट ने माना कि चरम मामलों में असंगत सजा आठवें संशोधन का उल्लंघन करती है, जो अमेरिकी संविधान के लिए क्रूर और असामान्य सजा को प्रतिबंधित करता है।

सुप्रीम कोर्ट का रुख:

- सर्वोच्च न्यायालय पहले ही अनिवार्य मृत्युदंड को असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर चुका है और इसलिए इस प्रश्न पर विचार करने का आह्वान किया है।
- इसके अलावा, इसने याचिकाकर्ता को एक अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के साथ इस मुद्दे पर लिखित प्रस्तुतियाँ और प्रस्ताव देने के लिए कहा।

ऐतिहासिक परिदृश्य:

- 1983 में, मिठू बनाम पंजाब में, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि आईपीसी की धारा 303 इस हद तक असंवैधानिक थी कि किसी अन्य मामले में आजीवन कारावास की सजा काटते हुए हत्या करने वाले व्यक्ति को अनिवार्य मौत की सजा दी जाएगी।

- धारा 303 में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट को ऐसे मामलों में मौत की सजा के अलावा कोई सजा नहीं देनी चाहिए।

स्वदीप कुमार

महिलाओं के विवाह की उम्र बढाने का विरोध

संदर्भ क्या है?

हाल ही में बाल अधिकारों के लिया समर्पित संगठनों के अम्ब्रेला संगठन इंडिया चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन फोरम (ICPF) ने संसदीय पिनक ले समक्ष महिलाओं के विवाह की उम्र बढाने का विरोध किया है।

वर्तमान में भारत में विवाह करने की न्यूनतम उम्र लड़कों के लिए 21 वर्ष और लड़कियों के लिए 18 वर्ष है। बाल विवाह रोकथाम कानून 2006 के तहत इससे कम उम्र में शादी गैर-कानूनी है, जिसके लिए दो साल की सजा और एक लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है।

अब सरकार लड़कियों के लिए इस सीमा को बढ़ाकर 21 वर्ष करने पर विचार कर रही है। इस मुद्दे पर विचार करने के लिए जया जेटली की अध्यक्षता में 10 सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन किया गया था ।

कम उम्र में विवाह के नकारात्मक प्रभाव

आत्मनिर्भरता पर प्रभाव

केन्द्र सरकार का मानना है कि कम आयु में विवाह बेटियों के आत्मसम्मान पर अप्रत्यक्ष रूप से आघात पहुंचाता है। कई अध्ययनों ने यह स्पष्ट किया है कि कम आयु में विवाहित लड़कियां दुर्व्यवहार और घरेलू हिंसा की शिकार उन लड़कियों की अपेक्षाकृत कहीं अधिक होती हैं, जिनका विवाह देर से होता है और जो अधिक शिक्षित होती हैं। कम आयु में विवाह बेटियों की शिक्षा और आत्मनिर्भरता, दोनों को ही बाधित करता है।

स्वास्थ्य पर प्रभाव

कम आयु में विवाह और मां बनने पर लड़कियों के जीवन का जोखिम बहुत अधिक बढ़ जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन भी इस तथ्य की पुष्टि करता है कि किशोरावस्था में गर्भधारण से एनीमिया, मलेरिया, एचआइवी और अन्य यौन संचारित संक्रमण,

प्रसव के पश्चात् रक्तचाप और मानसिक विकार जैसी कई स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं।

सशक्तीकरण पर प्रभाव

कम उम्र में विवाह से लड़कियां पर्याप्त रूप से शिक्षित और आत्मनिर्भर नहीं बन पातीं। अतः वह अपने बारे में लिए गए निर्णयों में स्वयं ही भागीदार नहीं हो पातीं। इससे वह अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं कर पातीं और उनके सामाजिक सशक्तीकरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

आर्थिक प्रभाव

विश्व बैंक के साथ इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिसर्च ऑन वूमेन की एक रिपोर्ट बताती है कि विश्व स्तर पर आठ देशों में वर्ष 2030 तक अरबों डॉलर की बचत हो सकती है, यदि वे किशोरावस्था में विवाह पर रोक लगा दें। इन देशों में भारत भी है, जिसे अगले आठ वर्षों में स्वास्थ्य देखभाल और संबंधित लागतों में 33500 करोड़ रुपये खर्च करने पड़ेंगे। यह अध्ययन बताने के लिए काफी है कि एक सामाजिक बुराई किस प्रकार संपूर्ण अर्थव्यवस्था के विकास को भी अवरुद्ध कर देती है।

लैंगिक असमानता

विवाह की न्यूनतम आयु में अंतर के कारण लैंगिक असमानता बढ़ रही है, जो वैवाहिक संबंध में भी दिखती है। पुरूष को कम से कम 21 साल की उम्र में ही विवाह की इजाजत है। जबकि लड़की के लिए यह आयु सीमा 18 साल है। इस अंतर का कोई तार्किक और वैज्ञानिक आधार नहीं है। इससे महिलाओं के प्रति भेदभाव झलकता है। यदि लड़कियों के विवाह की आयु में परिवर्तन होता है तो लैंगिक सशक्तीकरण की ओर मजबूत कदम होगा

देश में कानूनी रूप से लड़कों और लड़कियों के विवाह की आयु में अंतर कितना प्रासंगिक है?

1978 में हिंदू विवाह अधिनियम में संशोधन करके लड़कों के लिए कानूनी रूप से विवाह की न्यूनतम आयु 21 साल और लड़कियों के लिए 18 वर्ष निर्धारित की गई थी, परंतु विगत दशकों में सामाजिक- सांस्कृतिक स्तर पर अनेक परिवर्तनों के पश्चात विवाह की वैधानिक आयु में लड़के और लड़कियों के मध्य अंतर का कोई तार्किक कारण दिखाई नहीं देता।

यह बहस पिछले काफी समय से चल रही है कि आखिर लड़के और लड़की की शादी की न्यूनतम उम्र अलग-अग क्यों होनी चाहिए ? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 2018 में

यह सिफारिश कर चुका है कि देश में शादी के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कानूनन एक ही होनी चाहिए । विधि आयोग इससे 10 साल पहले 2008 की अपनी रिपोर्ट में कह चुका है कि लड़कों और लड़कियों की शादी की उम्र सीमा समान होनी चाहिए। हालांकि उसकी सिफारिश दोनों की न्यूनतम उम्र 21 करने के बजाय 18 वर्ष करने की थी। चूंकि 18 वर्ष में युवक और युवती बालिग मान लिए जाते हैं और उन्हें वोट देने का भी अधिकार मिल जाता है, इसलिए यह बात अजीब लगती है कि कोई लड़का सरकार चुनने लायक तो हो गया, पर जीवन साथी चुनने लायक नहीं हो पाया है। मगर फिलहाल बहस उम्र सीमा बढ़ाने पर केन्द्रित लग रही है। प्रधानमंत्री की चिंताएं भी लड़कियों की शिक्षा और प्रसूति के दौरान होने वाली मौतों से जुड़ी हैं।

किसी भी कानूनी व्यवस्था को स्थायी रूप से स्वीकार कर लेना तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि सामाजिक व्यवस्थाएं कभी भी स्थिर नहीं होतीं । जब समाज में परिवर्तन होता है तो उससे जुड़ी हुई कानूनी व्यवस्थाओं की उपयोगिता का विश्लेषण भी आवश्यक हो जाता है।

भारत में महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु सदैव ही विवादास्पद क्यों ?

भारत में महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु सदैव ही एक विवादास्पद विषय रही है। सामान्य रूप तर्क दिया जाता है कि 18 वर्ष तक लड़कियां विवाह योग्य परिपक्व हो जाती हैं, परंतु इसके पीछे का वास्तविक कारण लड़कियों को दायित्व और बोझ माना जाना है। इसके अलावा लड़कियों की सुरक्षा का दायित्व और विवाह के प्रति स्वतंत्र सोच विकसित होने का भय भी रहता है। इस दायित्व और भय से मुक्ति का सीधा सा मार्ग उनका विवाह ही दिखाई देता है। आज भी अधिकांश भारतीय माता-पिता लड़कियों की शिक्षा पर ध्यान देना आर्थिक अपव्ययता समझते हैं, क्योंकि उनकी नजर में लड़कियों के जीवन का लक्ष्य घर बसाना है, जिसके लिए उच्च शिक्षित होना आवश्यक नहीं है।

यह सभी तर्क और कारण उस समय अर्थहीन हो जाते हैं जब महिला अधिकारों और महिला सशक्तीकरण की बात आती है।

वैश्विक परिदृश्य

विश्व के अधिकतर देशों में लड़के और लड़कियों के लिए शादी की न्यूनतम उम्र 18 ही है। भारत में 1929 के शारदा कानून के तहत शादी की न्यूनतम उम्र लड़कों के लिए 18 और लड़कियों के लिए 14 साल तय की गई थी। 1978 में संशोधन के बाद लड़कों के लिए ये सीमा 21 साल और लड़कियों के लिए 18 साल हो गई। वर्ष 2006 में बाल विवाह रोकथाम कानून ने इन्हीं सीमाओं को अपनाते हुए और कुछ बेहतर प्रावधान शामिल कर, इस कानून की जगह ली ।

यूनिसेफ (यूनाइटेड नेशन्स इंटरनेशनल चिल्ड्रन्स फंड) के अनुसार विश्वभर में बाल विवाह के मामले लगातार घट रहे हैं, और पिछले एक दशक में सबसे तेजी से गिरावट दक्षिण एशिया में आई है। 18 से कम उम्र में विवाह के सबसे ज्यादा मामले उप-सहारा अफ्रीका (35%) और फिर दक्षिण एशिया (30%) में हैं। यूनिसेफ के अनुसार 18 साल से कम उम्र में शादी मानवाधिकारों का उल्लंघन है। इससे लड़कियों की पढ़ाई छूटने, घरेलू हिंसा का शिकार होने और प्रसव के दौरान मृत्यु होने का खतरा बढ़ जाता है। इसी परिवेश में सरकार के टास्क फोर्स को लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने पर फैसला उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के हित को ध्यान में रखते हुए करना है।

मुकुंद माधव शर्मा